

संख्या 41015/3/2024-बीसी-III

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'ए' विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली-110001

दिनांक: 18 नवंबर 2025

एडवाइजरी

सेवा में,

सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल

विषय: हाल ही की घटनाओं से संबंधित संवेदनशील सामग्री के प्रसारण के संबंध में सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी।

इस मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार चैनल लाल किले विस्फोटों में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के बारे में ऐसी सामग्री प्रसारित कर रहे हैं, जो उनकी हिंसात्मक गतिविधियों को उचित ठहराती प्रतीत होती है, साथ ही ऐसे जानकारी/वीडियो भी दिखाए जा रहे हैं जिनमें विस्फोटक सामग्री बनाने के तरीके बताए गए हैं। ऐसे प्रसारण अनजाने में हिंसा को प्रोत्साहित या भड़कावा दे सकते हैं, लोक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

2. सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक सतर्कता और संवेदनशीलता बरतें। प्रसारकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। ऐसे प्रसारण, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों, विशेष रूप से नियम 6(1)(घ), 6(1)(ड) और 6(1)(ज) का उल्लंघन कर सकते हैं, जिनमें कहा गया है कि किसी भी कार्यक्रम में निम्नलिखित नहीं होना चाहिए:

(घ) किसी भी प्रकार की अश्लील, मानहानिकारक, जानबूझकर असत्य, या विचारोत्तेजक संकेत और अर्ध-सत्य वाली सामग्री।

(ड) ऐसी कोई भी सामग्री जिससे हिंसा को प्रोत्साहित करने या भड़काने की संभावना हो, कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न करे, या राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हो।

(ज) ऐसी कोई भी सामग्री जो राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करती हो।

3. सभी टीवी चैनलों को आगे सलाह दी जाती है कि ऐसे किसी भी दृश्य का प्रसारण करने से बचें जो विधिविरुद्ध गतिविधियों में सहायक हो, उकसावा दे या उन्हें बढ़ावा दे।

4. यह एडवाइजरी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी की जाती है।



(अर्पिता एस)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23380119

प्रतिलिपि:

1. केबल टेलीविजन (संशोधन) नियम, 2021 के तहत पंजीकृत टीवी चैनलों के स्व-विनियामक निकाय।
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एसोसिएशन/निकाय।
3. ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल।